

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग



Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे मे जानकारी भाग-11

परिमार्जन प्लस

कम्प्युटराईजेसन हेतु छूटे हुये जमाबंदी को डिजिटाईज कर ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन करने की <mark>नई</mark> प्रक्रिया

<u>https://biharbhumi.bihar.gov.in/</u> को खोलें तथा "Parimarjan Plus" पर क्लिक करें।



अगर आप registered User है तो आप अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा ''परिमार्जन प्लस'' पर क्लिक करें।



हल्का, मौज़ा चुन कर "Prepare Application" पर क्लिक करें। अब आपको अपनी जमाबंदी से संबन्धित विवरण यथा जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण, लगान संबंधी विवरण भरना है तथा ऑनलाइन किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करना है।

+

3

आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रकार यथा ''कम्प्युटराईजेसन हेतु छूटे हुये जमाबंदी का डिजिटाईजेसन" को चुनें। अब अपना जिला, अंचल को चुन कर Process बटन पर क्लिक करें।



आवेदन के पहले भाग में जमाबंदी नंबर, होल्डिंग नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर में जो विवरण ज्ञात हो उसको भर कर Next बटन पर क्लिक करें तत्पश्चात रैयत का विवरण, प्लॉट विवरण, लगान विवरण के सभी अनिवार्य सूचना अंकित कर "Next" बटन पर क्लिक करें। अंतिम भाग में आवेदक को विभिन्न साक्ष्य का अलग- अलग पीडीएफ़ अपलोड करना है तथा preview बटन पर क्लिक करना है।

→ 6

आपके द्वारा भरा गया आवेदन का विवरण आपको दिखाई देगा, सब कुछ सही होने पर Final Submit बटन पर क्लिक करें। आपको एक प्राप्ति रसीद मिलेगा, जिसको आप भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आवेदन में त्रुटि होने पर Edit बटन पर क्लिक कर पुनः आवेदन में बदलाव कर सकते है।

- अगर आपके द्वारा जमा किए हुये आवेदन में अंचल अधिकारी को कोई आपत्ति है तो वो आपको अपने मन्तव्य के साथ वापस कर सकते है ऐसे में वो आवेदन आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉगिन के होम स्क्रीन पर दिखेगा जिसमे आवश्यक सुधार ऊपर दिये गए प्रक्रिया का पालन कर कर सकते है।
- परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति देखने के लिए https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें तथा "परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें" पर क्लिक करें, जिला, अंचल, आवेदन संख्या डाल कर Search बटन पर क्लिक करें।